

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-18/2019-20

छोटानागापुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

उजाला देवी बनाम किरण कुमारी महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

उजाला देवी, पति-स्व० गिरिजानन्द महतो,
ग्राम-चिरुडीह, पो०-चिरुडीह, थाना-तमाड़,
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि।

क्रेता का नाम एवं पता -

किरण कुमारी महतो, पति-श्री शशि कुमार महतो,
ग्राम-बाबुरामडीह, पो०-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़,
जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री राजेन्द्र महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-28/05/19 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता किरण कुमारी महतो, पति-श्री शशि कुमार महतो, ग्राम-बाबुरामडीह, पो०-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बाबुरामडीह	तमाड़	189	113	223	28 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-369(ii) दिनांक-26/07/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम वीरु महतो वो गोपीनाथ महतो वगैरह, कौम कुरमी है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध-केवाला सं० 11530 दिनांक 12/08/1970 है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम उजाला देवी है।

8

- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 1999-2000 तक वसूली गयी है।
- (5) खरीदगी के बाद जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड II किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 1.75 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कूर्मी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता उजाला देवी, पति-स्व० गिरिजानन्द महतो, ग्राम-चिरुडीह, पो०-चिरुडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि, को क्रेता किरण कुमारी महतो, पति-श्री शशि कुमार महतो, ग्राम-बाबुरामडीह, पो०-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-21/06/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता उजाला देवी, पति-स्व० गिरिजानन्द महतो, ग्राम-चिरुडीह, पो०-चिरुडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि, को क्रेता किरण कुमारी महतो, पति-श्री शशि कुमार महतो, ग्राम-बाबुरामडीह, पो०-बाबुरामडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बाबुरामडीह	तमाड़/189	113	223	28 डी०

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।